**भारत सरकार**
**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**
**औषध विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 848**
**दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**झारखंड में जन औषधि केंद्र**

**848. श्री मनीष जायसवालः**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा झारखंड में जन औषधि केन्द्र स्थापित करने के लिए हजारीबाग सहित जिला-वार क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान झारखंड में वर्ष-वार कितने जन औषधि केन्द्र खोले गए हैं;
(ग) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों की स्थापना और संचालन के लिए कितनी धनराशि आवंटित/उपयोग की गई है; और
(घ) सरकार द्वारा इन केन्द्रों में जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

**उत्तर**
**रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (सुश्री अनुप्रिया पटेल)**

**(क):** प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सरकार ने 31 मार्च, 2027 तक पूरे देश में 25000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) खोलने का लक्ष्य रखा है।

तदनुसार, झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले सहित देश के सभी जिलों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वेबसाइट www.janaushadhi.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

झारखंड राज्य में कुल 120 पीएमबीजे केंद्र खोले गए हैं। इनमें से 5 पीएमबीजे केंद्र हजारीबाग जिले में खोले गए हैं।

**(ख):** वर्तमान वित्तीय वर्ष (दिनांक 30.06.2024 तक) सहित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान झारखंड राज्य में कुल 58 पीएमबीजेके खोले गए हैं। इनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | खोले गए पीएमबीजेके |
|---|---|---|
| 1 | 2021-22 | 09 |
| 2 | 2022-23 | 10 |
| 3 | 2023-24 | 21 |
| 4 | 2024-25 (30.06.2024 तक) | 18 |
| **कुल** | | **58** |

**(ग):** पीएमबीजेपी के तहत केंद्र-वार निधि आबंटन नहीं है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत आबंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है: -

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | स्वीकृत निधियां (रुपए करोड़ में) | उपयोग की गई निधियां (रुपए करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2021-22 | 68.50 | 68.50 |
| 2. | 2022-23 | 100.00 | 100.00 |
| 3. | 2023-24 | 110.00 | 110.00 |

**(घ):** पीएमबीजेपी की उत्पाद संख्या में 2047 दवाइयां और 300 सर्जिकल एवं चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं शामिल हैं। सुगम आपूर्ति और उत्पादों की उपलब्धता के लिए, एक आईटी-सक्षम परिपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को लागू किया गया है। इसमें गुरुग्राम में एक केंद्रीय मालगोदाम और बेंगलुरु, गुवाहाटी, चेन्नई और सूरत में चार क्षेत्रीय मालगोदाम शामिल हैं। इसके अलावा, आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 36 वितरक नियुक्त किए गए हैं।

उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 400 गतिशील उत्पादों की समग्र उपलब्धता की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के लिए न्यूनतम भंडारण अधिदेश भी लागू किया जा रहा है। भंडारण अधिदेश के अन्तर्गत इन केंद्रों पर 200 दवाओं की उपलब्धता होनी आवश्यक है, जिनमें पीएमबीजेपी उत्पाद संख्या की शीर्ष 100 बिकने वाली दवाएं और बाजार में तेजी से बिकने वाली 100 दवाएं शामिल हैं।

जन औषधि दवाओं का मूल्य आम तौर पर खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं के मूल्य की तुलना में 50%-90% तक कम होता है।

*****